

न्यायालय समाहर्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा  
सरफेसी वाद संख्या-123/2017  
प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, दरभंगा -बनाम- विमला देवी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
05/10/2018	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।</p> <p>प्रस्तुत वाद सरफेसी अधिनियम-2002 की धारा-14 के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, दरभंगा के द्वारा ऋण की बकाया राशि के भुगतान से संबंधित विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति सम्पत्ति के भौतिक दखल-कब्जा दिलाने हेतु दायर किया गया है। वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर संबंधित पक्षकार को सूचना स्पीड-पोस्ट के माध्यम से भेजी गयी जो वापस प्राप्त हुआ है।</p> <p>स्थापित विधि एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधोहस्ताक्षरी में सन्निहित क्षेत्राधिकार के अनुरूप सरफेसी अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत दायर आवेदन पर आवेदक को भौतिक दखल कब्जा दिलाना है, यदि वह उल्लिखित संपत्ति क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हो, सरफेसी अधिनियम की धारा-13(2) के आलोक में संबंधित ऋण/ प्रत्याभूति को संबंधित बैंक द्वारा सूचना निर्गत करते हुए समुचित अवसर दिया जा चुका हो तथा वाद में सन्निहित प्रत्याभूति सम्पत्ति का अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत सांकेतिक दखल कब्जा पूर्व में संबंधित बैंक के द्वारा लिया जा चुका हो। प्रश्नगत वाद में ऋण प्रत्याभूति की उपस्थिति एवं वाद के गुण-दोष की विवेचना अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार से परे है। अंकनीय है कि AIR 2007 (NOC) 1634 (BOM.) में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्टतः आदेशित है कि "CMM/DM acting u/S. 14 of the Act is not required to give notice either to the borrower or to the 3<sup>rd</sup> party. He has to only verify from the bank or financial institution whether notice u/S. 13(2) of the Act is given or not and whether the secured assets fall within his jurisdiction. There is no adjudication of any kind at that stage it is only if the above conditions are not fulfilled that the CMM/DM can refused to pass an order u/S. 14 of the Act by recording that the above conditions are not fulfilled. If these two conditions are fulfilled, he cannot refuse to pass an order u/S. 14".</p> <p>वाद आवेदन के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि संबंधित बैंक के नीति निर्धारण के अनुरूप विपक्षी श्रीमती विमला देवी, पति स्व० रामचन्द्र साह को वर्ष 2011 में मेसर्स चन्दन ट्रेडर्स, प्र० चन्दन कुमार के नाम ऋण दिया गया। ऋण की</p>	

अदायगी हेतु विपक्षी विमला देवी द्वारा प्रत्याभूति दाता के रूप में उनके नाम से संधारित सम्पत्ति को सुरक्षित जमा राशि के रूप में दिया गया। संबंधित प्रतिभूति सम्पत्ति एवं मांग की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रतिभूति सम्पत्ति का विवरण

ऋणी/प्रत्याभूति दाता का नाम एवं पता	सम्पत्ति का विवरण	माँग की राशि
विमला देवी, पति स्व० रामचन्द्र साह, मु० कादिराबाद, किलाघाट, इमलीघाट, पो० लालबाग, थाना-सदर जिला-दरभंगा	निबंधित केवाला सं०-10327 दिनांक 25.05.1985 एवं केवाला सं०-10325 दिनांक 25.05.1985 में निहित सम्पत्ति म्युनिसिपल खेसरा नं०-16877, 16878, 16862, रकबा-03 धुर 75 धुरकी, चौहद्दी-उ० विलट महथा, द० रास्ता, पू० रामचन्द्र साह, प० विमला देवी एवं म्युनिसिपल खेसरा नं०-16877, 16862 रकबा 03 धुर 75 धुरकी, चौहद्दी-उ० विलट महता, द० रास्ता, पू० हरि महथा, प० सुखदेव साह	रूपया-15,34,716.00

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि सामान्य अनुक्रम में विपक्षी विमला देवी के द्वारा ऋण की अदायगी नहीं करने के कारण प्रथमतः इनके एकाउन्ट को दिनांक 29.06.2012 से एन०पी०ए० किया गया। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुरूप विपक्षी को दिनांक 05.12.2013 को नोटिस किया गया, जिसका जवाब विपक्षी के द्वारा नहीं दिया गया। सरफेसी अधिनियम की धारा-13(4) के अनुरूप संबंधित भूमि का सांकेतिक दखल कब्जा दिनांक 14.10.2015 को प्राप्त किया गया है। आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि सरफेसी अधिनियम-2002 के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। अतः भौतिक दखल-कब्जा दिलाने की कृपा की जाय।

अभिलेख पर संधारित तथ्यों का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राधिकृत पदाधिकारी आवेदक द्वारा विपक्षी के बैंक एकाउन्ट को विधिवत् एन०पी०ए० घोषित करने के पश्चात् विपक्षी को अधिनियम की धारा 13(2) के अनुरूप सूचना निर्गत की गयी है। सूचनोपरान्त संबंधित भूमि को अधिनियम की धारा 13(4) के अनुरूप सांकेतिक दखल-कब्जा घोषित किया गया है।


अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त मेरा समाधान है कि सरफेसी अधिनियम-2002 की धारा-14 के अधीन वाद आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को प्राधिकृत किया जाता है तथा उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के माध्यम से भौतिक दखल-कब्जा दिलाने हेतु एक तिथि निर्धारित करते हुए इसकी सूचना प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, दरभंगा सहित सभी संबंधित पक्षों को देंगे तथा आवश्यकतानुसार पुलिस बल की मांग वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा


से करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के मांग पर नियमानुसार पुलिस बल आदि की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करेंगे। प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, दरभंगा को भी निदेश दिया जाता है कि भौतिक दखल-कब्जा प्राप्त करने में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को समुचित सहयोग प्रदान करेंगे।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा/अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा/प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित्र एवं संशोधित।

  
समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,  
दरभंगा।

  
समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,  
दरभंगा।

